

**Haryana Government
Department of Fisheries
Bays No. 31-32, Sector-4, Panchkula**

E-Auction Notice

No.DA-I/e-Auction/PKL/2017

Dated:

It is hereby notified for the information of the General Public that e- auction of Fishing Rights of Notified Waters of Haryana State, (situated in the districts as per schedule of Haryana Fisheries Rules-1996), shall be put to open public auction through the process of e-Auction. The e-Auction will be held on **31-07-2017 at 9.00 AM to 12:00 Noon** and bids can be submitted from 09:00 AM to 12:00 Noon, extendable maximum up to 12:30 PM. The important instructions for participation in the online e-Auction are as under:-

- A. The bids shall be made online on the e-procurement website <https://haryanaeprocurement.gov.in>.
- B. The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create *their user account online by selecting the option of e auction from discipline column and obtain user-id /password* on the website <https://haryanaeprocurement.gov.in> (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana State, please visit the aforementioned website and click on the available link "How to...?" at the Home Page.
- C. After getting the *user account created*, the prospective/intending bidders shall upload following documents (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document) along with deposition of **earnest money (EMD)** and **e-service fee** in order to participate in the e-Auction latest by **28.07.2017 till 04:00 PM** anytime after the publication of this document. Further, the intending bidders must ensure that the afore-said amounts should be remitted and verification successful on <https://fisheries.haryanaeprocurement.gov.in> portal as specified above before 08:00 AM on 31.07.2017 so as to be eligible to participate in the e-Auction.

In case of registration, challan generation and remittance of the afore-mentioned amount after 04:00PM on 28.07.2017 for any reason whatsoever, and due to which the system does not verify such transaction, and therefore the bidder will not be permitted to participate in the e-Auction.

The details of documents to be uploaded are as under:-

- (i) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of Fisherman Co-operative Society registered under the law relating to the registration of Co-operative Societies)**, or an affidavit (in case of sole proprietor). No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;

- (ii) A copy of authority letter by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of Fisherman Co- operative Society of the Company in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency.
- (iii) Earnest Money will have to be deposited, of the District/Districts for which bid has to be made, shown in the **'Table-A'** against each District/Districts, through online payment in due course of time i.e. up to 28.07.2017 till 04:00PM. In case the intended bidder fails to pay online EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana State. The payment for EMD fee can be made by eligible bidders online through RTGS/NEFT.

The payment shall be made against the beneficiary account number as mentioned in the challan to be generated online at the e-Procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in>

- (iv) Details of the bidding agency in case of requirement of **refund of EMD** (a) Refund Account Name (b) Refund Account No. (c) IFSC code of the Bank. Note: Please cross check the information to be submitted online before saving the same as the information in non editable.
- (v) The Bidders shall have to pay **e-Service Fee of Rs.1000/- online** by using the service of secure electronic payment gateway. The secure electronic payments gateway is an online interface between contractors and online payment authorization networks. The Payment for **e-Service Fee** can be made by eligible bidders/ contractors online directly through **Debit Cards & Internet Banking Accounts**.

Note:- Any document uploaded as per (i), (ii) and (iii) above at later stage/ after auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

1. In case of any query regarding process of **e-Auction and for undertaking training purpose, the** intended bidder can also avail the following and can contact service provider as per below:

Office Timings of Help-desk support for Single e-Procurement Portal of Government of Haryana-Technical Support Assistance will be available over telephone Monday to Friday (09:00 am. to 5:30 pm) & Training workshop will be conducted on every 1st, 2nd Friday (from 3:30 pm upto 6:00 pm) and 4th Saturday (from 11:30 am upto 3:00 pm) of each month.

All queries would require to be registered at our official email-chandigarh@nextenders.com for on-time support (Only those queries which are sent through email along with appropriate screenshots or error description will be considered as registered with the Help-desk).

Important Note:-

- (a) Any intending bidder can contact the helpdesk on or before prior to 4 hours of the scheduled closing date & time of respective e-Auction/ Tender event.

- (b) For queries pertaining to e-Payment of EMD, please contact the helpdesk at least 2 business days prior to the closing date & time of e-Auction/Tender event.
- (c) Help-desk support will remain closed during lunch break i.e. from 1:30 PM upto 2:15 PM on each working days.

Schedule for Training:-

Training workshop will be held on 1st, 2nd Friday (from 3:30 pm upto 6:00 pm) and 4th Saturday (from 11: 30 am upto 3:00 pm) of each month at following addresses:-		
Nextenders (India) Pvt. Ltd Municipal Corporation Faridabad, Near B.K.Chowk, Opp. B.K.Hospital, NIT, Faridabad Contact no. 9310335475	Nextenders (India) Pvt. Ltd. Public Health Division No. 2 Hisar, Model Town Opp. N.D Gupta Hospital, Hisar Contact: 9034357793	Nextenders (India) Pvt. Ltd., Nirman Sadan (PWD B&R), Plot No.-01, Basement, Dakshin Marg, Sec-33 A, Chandigarh -160020 For Support-1800-180-2097, 0172-2582008-2009

For Support Call-1800-180-2097

M/s Next Nextenders (India) Pvt. Ltd Office will remain closed on Saturday (except 4th Saturday), Sunday and National Holidays

2. Any bidder interested to participate in the auction can submit his bid/s on 31.07.2017 from 09:00 am to 12:00 Noon.
3. However, in case any bid in respect of any District is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12 noon, then the time for closure of the auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any District, otherwise the same would get concluded.
4. In case, the bidding would continue during such extensions of 10-10 minutes, the bidding process will finally conclude at 12:30 PM and no further extension would be given thereafter.
5. The minimum bid incremental value during the initial time provided (i.e. from 9:00 AM to upto 12:00 noon) will be multiple of Rs. 1000 (As shown in Table-'A' District / Districts). However, the increment during extended period (31.07.2017 from 12:00 noon to 12:30 PM) will be multiple of Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) instead of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand)..

The District/Districts wise details of the Reserve Price, Earnest Money, Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd amount of auction and 5% of contract amount as Security and other terms and conditions of the auction of Fishing Rights of Notified water of Haryana State are as tabulated below:-

District Wise detail (Table –‘A’):-

Sr. No	Name of District/Districts	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Detail of Bank Account for Deposition of 1/3 rd of auction amount and 5% of contract amount as Security
1.	Karnal	2739733	274000	District Fisheries Officer Karnal Bank Name: Vijaya Bank Bank IFSC Code:VIJB0008314 Bank MICR Code: Bank Address:Seco No. 223, Sec-12, Karnal Bank A/C No.:831401011000658 Mobile No: 9466001479 Unique Code:FO4B2G
2.	Panipat	3340333	334000	District Fisheries Officer Panipat Bank Name: State Bank of India Bank IFSC Code:SBIN0001620 Bank MICR Code:132002003 Bank Address: G.T. Road Panipat-132103 Bank A/C No.:32074751125 Mobile No.:9896681447 Unique Code: MEAJ0Y

E- Auction की शर्त :-

- 1 अधिसूचित पानियो की निलामी की समय अवधि 01.09.2017 से 31.08.2018 तक होगी।
- 2 मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-नीलामी संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली e-auction द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह से करवाई जायेगी।
- 3 मछली ठेके नीलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय करेगा। नीलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरांत नीलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन द्वारा दी जायेगी।
- 4 सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे हैं, में कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस के मछली नहीं पकड़ सकता। लाईसैंस सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।
- 5 नीलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा।
- 6 नीलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।
- 7 अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को-ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालों की औस्त से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैनको-ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।
- 8 जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष 2/3 हिस्से की

राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर-2 जमा करवानी होगी । ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्कोरिटी जब्त कर ली जायेगी । यदि उच्चतम बोली की धनराशि 50,000/-रु० से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा । (नोट:- उक्त वर्णित धनराशि टेबल- ए मे दर्शाए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के खाता संख्या मे RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी ।)

- 9 यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है तो लीगल कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा । यदि लाईसैंस रद्द नहीं किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैंस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा ।
- 10 ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा करारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैंस जारी कर दिया जायेगा ।
- 11 लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत पहली सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी ।
- 12 लाईसैंसदार या एजैन्ट या परमिटदार पहली जुलाई से 31 अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के ईलावा किसी भी साधन से मछली नहीं पकड़ेगा ।
- 13 लाईसैंसदार खुद या उसके नुमाईन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकड़ने का हकदार होगा ।
- 14 ठेकेदार स्वयं या उसके एजैन्ट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नहीं पकड़ेगा । इसके साथ नियमावली 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकड़ने की पाबन्दी होगी :-
- | | |
|----------------------|---|
| 1. यमुना नदी | हथिनी कुण्ड से गांव कलेसर तक । |
| 2. पश्चिमी यमुना नहर | गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्क्स आर.डी. 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर.डी. 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर |
- 15 लाईसैंसदार या उसके एजैन्ट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकड़ने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नहीं पकड़ सकते हैं ।
- (अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैंटीमीटर हो ।
- (ब) कुण्डियों वाली लाईन ।
- (स) बन्सी डोरी ।
- (द) हाथ धागा कुण्डियां ।
- 16 ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाए कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नहीं कर सकता है ।

- 17 ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के 200 मीटर उपर व नीचे सिवाए बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नहीं पकड सकता।
- 18 ठेकेदार उसके एजेंट या नुमाईदें नीलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकडने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा-जाल मछली की रुकावट के लिये नहीं लगायेगा।
- 19 ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मार कर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नहीं पकडेगा और न ही वह अपने एजेंट व नुमाईदें को पकडने देगा।
- 20 लाईसैसदार को अपना लाईसैस उन अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिये सशक्त है।
- 21 लाईसैसदार उसके एजेंट या नुमाईदे न तो 30 सैटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनिमय के लिये नहीं पकडेगा तथा न ही प्रदर्शित करेगा।
- 22 ठेकेदार निदेशक मत्स्य से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नहीं कर सकता है।
- 23 ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होंगे।
- 24 लाईसैसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकडी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिस साधनों द्वारा मछली पकडी गई हो वह लिखने होंगे तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहा से पकडी गई हो लिखना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी लिखने होंगे।
- 25 ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भेजता है तो 10/- रू० प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैस रद्द किया जा सकता है।
- 26 ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नहीं लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।
- 27 यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजेंट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।
- 28 ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा पानी गन्दा होने, बाढ के आ जाने या कीमतों के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं ले सकता।

- 29 ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लंघन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।
- 30 निदेशक मत्स्य पालन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल के लिये ठेकेदार या मछली पकड़ने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।
- 31 कानून के विरुद्ध मछली पकड़ने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकड़ने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकड़ी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है।
- 32 यदि ठेकेदार या उसका एजेंट का नुमाइन्दा इन कानूनों में से किसी को तोड़ता है या लाईसेंस की किसी शर्त को तोड़ता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसेंसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पड़ेगा। लाईसेंस रद्द होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्द समझे जायेंगे।
- 33 लाईसेंस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसेंस जारी कर सकता है।

इन लाईसेंसों की फीस निम्न प्रकार होगी:--

1- एक वर्ष के लिये	100 / --रु०
2. एक माह के लिये	50 / --रु०
3. एक सप्ताह के लिये	25 / --रु०
4. दैनिक	5 / --रु०

- 34 विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साइज की मछली रिसर्च के लिये, बढ़ोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड़ सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नहीं ले सकता।
- 35 यदि अधिसूचित पानियों में कोई मागूर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।
- 36 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 2,00,000 / --रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
- 37 यमुनानदी में मछली पकड़ने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुनानदी का फैलाव पड़ोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकड़ने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।

- 38 राज्य के अधिसूचित पानियों में नदिया, नहरे, नाले, झीले यानि हरियाणा नियमावली 1996 में नियम-1(2)के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नहीं है।
- 39 सफल बोलीदाता को कुल निलामी की धनराशि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी व 500/-रु0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।
- 40 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तों की भी अनुपालना करनी होगी।
- 41 निलामी मे भाग लेने वाले सभी ठेकेदार सबसे उंची बोली Online देख सकते है सबसे उंची बोली देने वाले को उनके registered email/Mobile Number/SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
- 42 जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।
- 43 हालांकि e-Auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने मे किसी मानवीय भूल के कारण कोई गलती को निलामी के बाद भी लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा
- 44 निलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निलामी करने / निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग,हरियाणा
पंचकूला।